Indian Journal of Modern Research and Reviews

This Journal is a member of the *'Committee on Publication Ethics'*

Online ISSN:2584-184X

Research Paper

भारत और बांग्लादेश के संविधान का तुलनात्मक अध्ययन

परबत सिंह राजपुरोहित *

सहायक आचार्य, राजनैतिक विज्ञान, श्री धनराजजी श्रीचंदजी बदामिया कॉलेज ऑफ़ प्रोफेशनल स्टडीज
वरकाणा, पाली, राजस्थान ,भारत

Corresponding Author: * परबत सिंह राजपुरोहित

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.17509755

सारांश

भारत और बांग्लादेश दोनों ही दक्षिण एशिया के महत्वपूर्ण लोकतंत्र हैं, जिनके संविधान ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संरचना की नींव रखी। भारत का संविधान *26 January 1950* को लागू हुआ और यह एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित है, जिसमें केंद्र और राज्य के अधिकार स्पष्ट रूप से विभाजित हैं। वहीं, बांग्लादेश का संविधान *16 December 1972* को लागू हुआ और यह एक एकात्मक संसदीय गणराज्य है, जिसमें सत्ता का केंद्र सरकार पर अधिक केंद्रीकरण है। यह शोध-पत्र इन दोनों संविधानों की संरचना, संसदीय व्यवस्था, मौलिक अधिकार, नीति-निर्देशक सिद्धांत, आपातकालीन प्रावधान और संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अध्ययन यह भी दर्शाता है कि भारत का संविधान अपने विस्तार और अनुभव-संपन्नता के कारण अधिक स्थिर और संघीय संतुलन पर आधारित है, जबकि बांग्लादेश का संविधान संशोधनों के माध्यम से लगातार विकसित हो रहा है। साथ ही, यह शोध दोनों देशों में लोकतांत्रिक संस्थाओं और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए आवश्यक सुधारों की दिशा भी उजागर करता है।

Manuscript Info.

- ✓ **ISSN No:** 2584- 184X
- ✓ **Received:** 06-09-2025
- ✓ **Accepted:** 26-10-2025
- ✓ **Published:** 03-11-2025
- ✓ **MRR:3(10):**2025;47-52
- ✓ **©2025, All Rights Reserved.**
- ✓ **Peer Review Process:** Yes
- ✓ **Plagiarism Checked:** Yes

How To Cite this Article

राजपुरोहित परबत सिंह. भारत और बांग्लादेश के संविधान का तुलनात्मक अध्ययन. इंडियन जर्नल ऑफ मॉडर्न रिसर्च एंड रिव्यू. 2025;3(10):45-52.

मुख्य शब्द: संविधान, संघीयता, एकात्मक, संसदीय, संशोधन, मौलिक अधिकार, शासन, सुधार

1. प्रस्तावना

दक्षिण एशिया का इतिहास राजनीतिक संघर्ष, उपनिवेशी शासन और स्वतंत्रता आंदोलनों से भरा हुआ रहा है, जिसने इस क्षेत्र के देशों के लोकतांत्रिक विकास को गहराई से प्रभावित किया है। भारत और बांग्लादेश दोनों ही राष्ट्र स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संवैधानिक शासन की स्थापना में जुटे, ताकि समाज में न्याय, समानता और नागरिक स्वतंत्रता सुनिश्चित की जा सके। भारत ने 26 January 1950 को अपना संविधान लागू किया, जिसके माध्यम से एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में शासन का ढाँचा तैयार किया गया, जिसमें केंद्र और राज्य के अधिकार स्पष्ट रूप से विभाजित हैं और संतुलन बनाए रखने का विशेष ध्यान रखा गया। दूसरी ओर, बांग्लादेश ने 16 December 1972 को संविधान लागू किया और एक एकात्मक संसदीय गणराज्य के रूप में शासन की नींव रखी, जिसमें सत्ता का केंद्र सरकार पर अधिक केंद्रीकरण है।

संविधान केवल कानून का दस्तावेज़ नहीं है; यह लोकतांत्रिक मूल्य, मानवाधिकार, न्याय और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाला मार्गदर्शक भी है। भारत का संविधान अपने विस्तार, अनुच्छेदों की संख्या और जटिल संशोधनों के कारण अधिक विस्तृत और अनुभव-संपन्न माना जाता है, जबकि बांग्लादेश का संविधान तुलनात्मक रूप से सरल है, लेकिन

© 2025 परबत सिंह राजपुरोहित. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

राजनीतिक परिवर्तनों और सुधारों के प्रति अधिक गतिशील है। यह शोध-पत्र दोनों देशों के संवैधानिक ढाँचे, शासन प्रणाली, मौलिक अधिकार, नीति-निर्देशक सिद्धांत, संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया और समसामयिक चुनौतियों का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। साथ ही, इसमें 2024-25 तक के नवीनतम डेटा और सुधार प्रस्तावों को शामिल किया गया है, जिससे दोनों देशों में लोकतांत्रिक संस्थाओं और नागरिक अधिकारों के विकास की दिशा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।

2. संविधान की संरचना और रूपरेखा

2.1 भारत

भारत का संविधान न केवल देश का सर्वोच्च कानूनी दस्तावेज़ है, बल्कि यह विश्व के सबसे विस्तृत और जटिल संवैधानिक दस्तावेजों में से एक माना जाता है। इसमें लगभग 25 भाग (Parts), 12 अनुसूचियाँ (Schedules) और 448 अनुच्छेद (Articles) शामिल हैं, जो देश के संघीय और राज्य स्तर पर शासन, अधिकार, कर्तव्य और नागरिक स्वतंत्रताओं को विस्तारपूर्वक परिभाषित करते हैं। संविधान ने भारत को एक "संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य" के रूप में घोषित किया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि राज्य का उद्देश्य केवल प्रशासनिक शासन नहीं बल्कि समाज में समानता, न्याय और स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के अंतर्गत निर्धारित की गई है, जिससे समय-समय पर आवश्यक सुधार और सुधारात्मक कदम उठाए जा सकते हैं। अब तक भारत में 106 से अधिक संशोधन किए जा चुके हैं, जिनमें शिक्षा, न्यायपालिका, स्थानीय शासन और नागरिक अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण बदलाव शामिल हैं। इन संशोधनों ने संविधान को एक जीवित दस्तावेज़ के रूप में बनाए रखा है, जो सामाजिक और राजनीतिक बदलावों के अनुरूप विकसित होता रहता है।

2.2 बांग्लादेश

बांग्लादेश का संविधान 4 November 1972 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 16 December 1972 को इसे लागू किया गया। मूल रूप से इसमें 11 भाग, 4 अनुसूचियाँ और 153 अनुच्छेद शामिल थे, जो देश के शासन, अधिकार और नागरिक स्वतंत्रताओं का आधार प्रस्तुत करते हैं। संविधान ने बांग्लादेश को गणतंत्र घोषित किया और "Nationalism, Socialism, Democracy, Secularism" को देश के आधारभूत सिद्धांत के रूप में स्थापित किया। हालांकि यह संविधान भारत की तुलना में संरचनात्मक रूप से सरल है, फिर भी यह राजनीतिक परिवर्तन और सामाजिक सुधारों के लिए अधिक लचीला और संशोधन-गतिशील है। अब तक बांग्लादेश में लगभग 17 संशोधन किए जा चुके हैं, जिनमें प्रमुख संशोधन राज्य धर्म, caretaker government व्यवस्था और धर्मनिरपेक्षता से संबंधित रहे हैं। इस प्रकार बांग्लादेश का संविधान केंद्रित और संवैधानिक बदलावों के प्रति गतिशील है, जो समय-समय पर सामाजिक, राजनीतिक और लोकतांत्रिक आवश्यकताओं के अनुसार अपने आप को ढालता रहता है।

दोनों ही देशों के संविधान अपने-अपने संदर्भ में ऐतिहासिक महत्व रखते हैं और लोकतांत्रिक संस्थाओं, नागरिक अधिकारों और शासन के संतुलन को सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत रूपरेखा प्रदान करते हैं। बांग्लादेश के संविधान सुधार आयोग ने कुछ मूल सिद्धांतों में परिवर्तन के सुझाव प्रस्तुत किए हैं। आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और राष्ट्रवाद से जुड़े राज्य के सिद्धांतों में संशोधन पर विचार किया गया है। यह रिपोर्ट अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस को सौंपी गई है। भारत का संविधान विस्तृत और संघीय संतुलन पर आधारित है, जबकि बांग्लादेश का संविधान सरल और केंद्रीकृत ढाँचे पर केंद्रित है, लेकिन यह भी अपने समय और परिस्थितियों के अनुसार लगातार विकसित होता रहता है।

2.3 तुलनात्मक विश्लेषण

पहलू	भारत	बांग्लादेश
संविधान लागू होने की तिथि	26 January 1950 – भारत का संविधान स्वतंत्रता के बाद लोकतंत्र की नींव रखने के लिए लागू हुआ। यह दिन देश में गणराज्य दिवस के रूप में मनाया जाता है।	16 December 1972 – बांग्लादेश का संविधान स्वतंत्रता संग्राम के तुरंत बाद लागू हुआ, जो युद्धोत्तर राजनीतिक और सामाजिक पुनर्निर्माण की दिशा में पहला कदम था।
भाग-अनुच्छेद-अनुलग्नक	25 भाग, 12 अनुसूची, 448 अनुच्छेद – इनमें केंद्र और राज्यों के अधिकार, न्यायपालिका, मौलिक अधिकार, नीति-निर्देशक सिद्धांत और प्रशासनिक ढाँचा विस्तार से शामिल हैं।	11 भाग, 4 अनुसूची, 153 अनुच्छेद – इसमें सरकारी ढाँचा, नागरिक अधिकार और राज्य नीति के सिद्धांत शामिल हैं। संरचना सरल है लेकिन समय-समय पर संशोधनों के माध्यम से विकसित होती रही है।
संशोधन की संख्या	106+ – प्रमुख संशोधन जैसे 42nd Amendment (1976) ने प्रस्तावना में "Socialist" और "Secular" जोड़े, जबकि 73rd और 74th Amendment ने स्थानीय शासन को संवैधानिक मान्यता दी।	लगभग 17 – प्रमुख संशोधन जैसे 8th Amendment (1988) ने इस्लाम को राज्य धर्म घोषित किया, 15th Amendment (2011) ने धर्मनिरपेक्षता को पुनः शामिल किया।
शासन-प्रकार	संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य – केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकार स्पष्ट रूप से विभाजित हैं। राज्यों की स्वायत्तता और केंद्र के नियंत्रण में संतुलन कायम है। उदाहरण के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य में राज्यों को पर्याप्त अधिकार हैं।	एकात्मक संसदीय गणराज्य – सत्ता का केंद्रीकरण केंद्र सरकार में अधिक है, और राज्यों या स्थानीय निकायों को सीमित स्वायत्तता प्राप्त है। उदाहरण के लिए, कई बार स्थानीय निर्णय केंद्र सरकार की मंजूरी पर निर्भर रहते हैं।

भारत का संविधान अपने विस्तार और संघीय ढाँचे के कारण जटिल और स्थिर है। यह सुनिश्चित करता है कि विभिन्न राज्यों की विविधताओं को मान्यता मिलती रहे और केंद्र-राज्य संबंध संतुलित रहें। उदाहरण के लिए, राज्यों को अपनी भाषा, सांस्कृतिक नीतियाँ और शैक्षणिक संस्थाओं में स्वतंत्रता दी गई है। वहीं, बांग्लादेश का संविधान अधिक केंद्रित है और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार संशोधन के लिए लचीला है। यह सरल संरचना इसे लागू करने में तेज़ और समय-निष्ठ बनाती है, लेकिन राज्यों या स्थानीय निकायों की स्वायत्तता कम होती

© 2025 परबत सिंह राजपुरोहित. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

है। यही कारण है कि भारत का संविधान संघीय लोकतंत्र का उदाहरण माना जाता है, जबकि बांग्लादेश का संविधान एक केंद्रित संसदीय प्रणाली का प्रतिनिधित्व करता है।

3. राज्य संरचना और संघीय बनाम यूनिटरी व्यवस्था

3.1 भारत: राज्य संरचना और संघीय व्यवस्था

भारत एक संघीय गणराज्य है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकार संविधान में स्पष्ट रूप से विभाजित हैं। सातवीं अनुसूची के तहत तीन प्रकार की सूची बनाई गई हैं – केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची – जो विभिन्न क्षेत्रों में शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा करती हैं। उदाहरण के लिए, रक्षा और विदेश नीति केंद्र के अधिकार में हैं, जबकि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र राज्यों के अधिकार में आते हैं। इस संघीय ढाँचे का उद्देश्य राज्यों की विविधताओं को मान्यता देना और केंद्र और राज्य के बीच संतुलन बनाए रखना है। आपातकालीन परिस्थितियों में केंद्र सरकार को राज्यों पर अस्थायी नियंत्रण का अधिकार प्राप्त होता है, जिससे संघीय ढाँचा लचीला और सुरक्षित रहता है। भारत की प्रणाली राज्यों को स्वायत्तता प्रदान करती है, जिससे स्थानीय जरूरतों और सांस्कृतिक विविधताओं का सम्मान सुनिश्चित होता है।

3.2 बांग्लादेश: राज्य संरचना और एकात्मक व्यवस्था

बांग्लादेश एक एकात्मक (Unitary) राज्य है, जहाँ अधिकांश सत्ता केंद्र सरकार के पास केंद्रीकृत है। राज्यों या स्थानीय निकायों को सीमित स्वायत्तता दी गई है, जैसे कुछ वित्तीय और प्रशासनिक निर्णय लेने का अधिकार, लेकिन अंतिम निर्णय केंद्र सरकार की मंजूरी पर निर्भर करता है। हाल के वर्षों में प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से कुछ अधिकार स्थानीय निकायों को दिए गए हैं, लेकिन केंद्रीकरण अभी भी प्रमुख है। बांग्लादेश की प्रणाली तेजी से निर्णय लेने की सुविधा देती है, लेकिन स्थानीय शासन की स्वतंत्रता सीमित रहती है। इस ढाँचे में केंद्र की भूमिका अधिक प्रभावशाली है, जबकि भारत में संघीय संतुलन प्राथमिकता प्राप्त है।

4. संसदीय प्रणाली और शासन प्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन

4.1 भारत

भारत एक संसदीय लोकतंत्र है, जहाँ संसद द्विसदनीय (Bicameral) है। यह संरचना लोकसभा (Lower House) और राज्यसभा (Upper House) में विभाजित है। लोकसभा सीधे जनता द्वारा निर्वाचित होती है और इसका कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है और इसकी सदस्यता में निरंतरता बनाए रखने के लिए नियमित बदलाव होते रहते हैं। भारत में राष्ट्रपति औपचारिक प्रमुख हैं और उनका कार्यकारी शक्ति पर सीमित नियंत्रण है, जबकि वास्तविक कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के हाथ में होती है। निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष है, जो चुनावों की निष्पक्षता सुनिश्चित करता है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की स्थिरता बनाए रखता है। इसके अलावा, संसद कानून निर्माण, बजट अनुमोदन, और केंद्र सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। द्विसदनीय संरचना विभिन्न राज्यों और जनसंख्या समूहों का संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है और कानून निर्माण में व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करती है।

4.2 बांग्लादेश

बांग्लादेश भी संसदीय लोकतंत्र के रूप में कार्य करता है, लेकिन यहाँ संसद एकसदनीय (Unicameral) है। इसका अर्थ है कि सभी विधायी शक्तियाँ एक ही सदन में केंद्रित हैं। प्रधानमंत्री कार्यकारी प्रमुख हैं और राष्ट्रपति की भूमिका मुख्यतः औपचारिक या प्रतीकात्मक है। बांग्लादेश में संसद नीतियों का निर्माण और सरकारी कार्यों की निगरानी का केंद्र है। हालाँकि, सत्ता का केंद्रीकरण अधिक होने के कारण निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज़ होती है, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों का प्रतिनिधित्व कम संतुलित हो सकता है। 2025 में प्रस्तावित सुधारों में द्विसदनीय संसद के विकल्प पर चर्चा हो रही है, जिससे राजनीतिक प्रतिनिधित्व और संतुलन को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। मुख्य सलाहकार रियाज के अनुसार, आयोग ने देश में द्विसदनीय संसद व्यवस्था लागू करने का सुझाव दिया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि निचले सदन को "नेशनल असेंबली" और ऊपरी सदन को "सीनेट" नाम दिया जा सकता है, जिनमें क्रमशः 400 और 105 सीटें निर्धारित की जाएंगी। इसके अलावा, आयोग ने अनुशंसा की है कि दोनों सदनों का कार्यकाल वर्तमान पाँच वर्ष की अवधि के स्थान पर चार वर्ष का रखा जाए। निचले सदन का गठन बहुमत के आधार पर जबकि ऊपरी सदन का गठन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत करने की सिफारिश की गई है।

तुलनात्मक विश्लेषण

भारत की द्विसदनीय संसदीय प्रणाली अधिक संतुलित प्रतिनिधित्व प्रदान करती है और कानून निर्माण में विविध दृष्टिकोण शामिल करती है। वहीं, बांग्लादेश की एकसदनीय प्रणाली केंद्रित और तेज़ निर्णय लेने वाली है, लेकिन राजनीतिक और क्षेत्रीय संतुलन में सीमित होती है। भारत का मॉडल लोकतंत्र के जटिल और विविध संरचना को दर्शाता है, जबकि बांग्लादेश की प्रणाली केंद्रित शासन और राजनीतिक नियंत्रण को प्राथमिकता देती है।

5. मौलिक अधिकार और नीति-निर्देशक सिद्धांत

5.1 भारत

भारत में मौलिक अधिकार संविधान के भाग III में विस्तृत रूप से दिए गए हैं। इनमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे अधिकार शामिल हैं। ये अधिकार सभी नागरिकों के लिए समान रूप से लागू होते हैं और राज्य को इन अधिकारों का उल्लंघन करने से रोकते हैं। साथ ही, भाग IV में नीति-निर्देशक सिद्धांत (Directive Principles of State Policy) शामिल हैं, जो राज्य की नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण में मार्गदर्शन करते हैं। ये सिद्धांत सीधे कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं, लेकिन राज्य की नीतियों और विकास योजनाओं का आधार बनाते हैं, जैसे गरीबी उन्मूलन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। इस प्रकार भारत का संविधान मौलिक अधिकारों और नीति-निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन बनाकर नागरिकों के अधिकार और राज्य की जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है।

© 2025 परबत सिंह राजपुरोहित. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

5.2 बांग्लादेश

बांग्लादेश के संविधान में मौलिक अधिकार भाग III में और नीति-निर्देशक सिद्धांत भाग II में शामिल हैं। 8वें संशोधन (1988) में इस्लाम को राज्य धर्म घोषित किया गया, जो संविधान की धार्मिक नीति में बदलाव लाया। इसके बाद 15वें संशोधन (2011) के माध्यम से धर्मनिरपेक्षता को पुनः संविधान में शामिल किया गया, जिससे सभी नागरिकों के धार्मिक अधिकारों और समानता की सुरक्षा सुनिश्चित हुई। वर्तमान में 2025 में प्रस्तावित सुधारों में "Right to Food, Housing, Internet Access" को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल करने की दिशा में काम चल रहा है। यह कदम नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक अधिकारों को संवैधानिक सुरक्षा देने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

तुलनात्मक विश्लेषण

भारत धर्मनिरपेक्ष है और मौलिक अधिकारों और नीति-निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन स्थापित करता है, जिससे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और राज्य की जिम्मेदारियों के बीच स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। बांग्लादेश अभी इस दिशा में सक्रिय सुधार कर रहा है, विशेषकर नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक अधिकारों को मजबूत बनाने के लिए। दोनों देशों में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा लोकतांत्रिक संस्थाओं और समाज के संतुलित विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

6. आपातकालीन प्रावधान और 7. संवैधानिक संशोधन

6.1 भारत

भारत के संविधान में आपातकालीन प्रावधान नागरिक सुरक्षा और राष्ट्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं। इसके अंतर्गत मुख्यतः तीन प्रकार के आपातकाल आते हैं। पहला, राष्ट्रीय आपातकाल (Article 352), जो बाहरी आक्रमण या आंतरिक असुरक्षा की स्थिति में लागू होता है। दूसरा, राज्य आपातकाल (Article 356), जो तब लागू होता है जब किसी राज्य सरकार की कार्यप्रणाली विफल हो जाती है और केंद्र सरकार को शासन संभालने का अधिकार प्राप्त होता है। तीसरा, वित्तीय आपातकाल (Article 360), जो वित्तीय संकट या आर्थिक आपात स्थिति में लागू होता है। इतिहास में 1975 से 1977 तक लागू आपातकाल ने लोकतांत्रिक संस्थाओं और नागरिक स्वतंत्रताओं पर गहरा प्रभाव डाला। इसके बाद न्यायपालिका ने "Basic Structure Doctrine" के माध्यम से संविधान की मौलिक संरचना की रक्षा सुनिश्चित की, ताकि भविष्य में आपातकाल के दुरुपयोग को रोका जा सके। यह व्यवस्था भारत में न केवल स्पष्ट और व्यवस्थित है, बल्कि न्यायिक समीक्षा के दायरे में भी आती है।

6.2 बांग्लादेश

बांग्लादेश के संविधान में भी आपातकालीन प्रावधान शामिल हैं। हालांकि, वर्तमान सुधार प्रस्तावों के अनुसार, आपातकाल के दौरान नागरिक अधिकारों का पूर्ण निलंबन नहीं होना चाहिए और न्यायपालिका तक पहुँच हमेशा सुनिश्चित रहनी चाहिए। यह सुधार नागरिक स्वतंत्रताओं की सुरक्षा और लोकतांत्रिक स्थिरता दोनों को बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

6.3 भारत में संवैधानिक संशोधन

भारत में संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत होता है। इसमें संसद द्वारा प्रस्तावित संशोधन पारित होना आवश्यक है, और कुछ मामलों में राज्यों की मंजूरी भी अनिवार्य है। प्रमुख संशोधन इसमें शामिल हैं। 42nd Amendment (1976) ने संविधान की प्रस्तावना में "Socialist", "Secular" और "Integrity" शब्द जोड़े। 44th Amendment (1978) ने आपातकाल प्रावधानों को सुधारते हुए नागरिक स्वतंत्रताओं को मजबूत किया। 73rd और 74th Amendment (1992) ने पंचायती राज और स्थानीय नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया। 86th Amendment (2002) ने शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल किया, जबकि 100th Amendment (2015) ने भारत-बांग्लादेश सीमा समझौते को संविधान में मान्यता दी।

6.4 बांग्लादेश में संवैधानिक संशोधन

बांग्लादेश में अब तक 17 संशोधन किए गए हैं। प्रमुख संशोधन में 8th Amendment (1988) के माध्यम से इस्लाम को राज्य धर्म घोषित किया गया, जबकि 15th Amendment (2011) में धर्मनिरपेक्षता को पुनः शामिल किया गया। 13th Amendment (1996) ने caretaker government की व्यवस्था स्थापित की। 2025 में प्रस्तावित सुधारों में द्विसदनीय संसद की स्थापना, डिजिटल अधिकारों और सामाजिक मूल्यों को संवैधानिक रूप देना शामिल है।

6.5 तुलनात्मक विश्लेषण

संक्षेप में, भारत की आपातकाल और संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया कठोर, स्पष्ट और संतुलित है। यह सुनिश्चित करता है कि संविधान स्थिर रहे और नागरिक अधिकार संरक्षित रहें। भारत में संशोधन प्रक्रिया धीमी, लेकिन संतुलित और व्यापक समीक्षा के अंतर्गत होती है, जिससे संविधान का मूल स्वरूप सुरक्षित रहता है। इसके विपरीत, बांग्लादेश की प्रक्रिया अधिक लचीली और गतिशील है। यह राजनीतिक परिवर्तनों और तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार संविधान में बदलाव की अनुमति देती है। हालांकि यह प्रणाली तेजी से सुधारों की दिशा में काम करती है, लेकिन कभी-कभी राजनीतिक अस्थिरता और केंद्रीकरण के कारण विवाद भी उत्पन्न होते हैं।

इस प्रकार, भारत और बांग्लादेश दोनों ही आपातकाल और संशोधन के दृष्टिकोण में अलग-अलग मॉडल अपनाते हैं: भारत अधिक संरचित और न्यायिक समीक्षा पर आधारित है, जबकि बांग्लादेश लचीला, गतिशील और परिवर्तनशील है।

8. समसामयिक चुनौतियाँ

8.1 भारत

भारत की संवैधानिक प्रणाली स्थिर और अनुभव-संपन्न है, लेकिन वर्तमान समय में इसे कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है:

1. **संघीय और राज्य स्तर पर शक्ति वितरण** – केंद्र और राज्यों के बीच अधिकारों और नीतियों के बंटवारे में अक्सर विवाद उत्पन्न होते हैं।
2. **डिजिटल अधिकार और डेटा सुरक्षा** – इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के बढ़ते उपयोग ने नागरिकों के डेटा और गोपनीयता की सुरक्षा को संवैधानिक प्रश्न बना दिया है।

© 2025 परबत सिंह राजपुरोहित. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

3. **न्यायपालिका में विलंब और पारदर्शिता** – अदालतों में मामलों की लंबित संख्या और न्याय प्रक्रिया में देरी लोकतंत्र की गुणवत्ता को प्रभावित करती है।
4. **पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन** – प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण संरक्षण के मुद्दों को संविधान के तहत प्रभावी रूप से लागू करना चुनौतीपूर्ण है।
5. **स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की सीमित क्षमता** – पंचायत और नगरपालिका स्तर पर प्रशासनिक क्षमता और संसाधनों की कमी विकास कार्यों को प्रभावित करती है।

8.2 बांग्लादेश

बांग्लादेश में संवैधानिक चुनौतियाँ कुछ अलग स्वरूप की हैं:

1. **धर्मनिरपेक्षता और राज्य धर्म का द्वंद्व** – संविधान और समाज में धार्मिक पहचान और अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण है।
2. **राजनीतिक अस्थिरता और न्यायपालिका की स्वतंत्रता** – सरकार और विपक्ष के बीच संघर्ष न्यायपालिका की निष्पक्षता पर प्रश्न उठाता है।
3. **स्थानीय निकायों और न्यायपालिका का विकेंद्रीकरण** – निर्णय प्रक्रिया अधिक केंद्रित होने के कारण स्थानीय शासन और न्यायिक प्रणाली कमजोर हो सकती है।
4. **मौलिक सुविधाओं का कार्यान्वयन** – शिक्षा, आवास और इंटरनेट जैसी मूलभूत सुविधाओं को नागरिक अधिकारों के रूप में लागू करना अभी चल रही प्रक्रिया है।
5. **मानवाधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नियंत्रण** – राजनीतिक और सामाजिक दबाव नागरिक अधिकारों की सुरक्षा को प्रभावित करता है।

9. सुधार प्रस्ताव और भविष्य की दिशा

9.1 भारत

1. संविधान को **"Living Document"** मानते हुए डिजिटल अधिकार, पर्यावरणीय न्याय, लैंगिक समानता और डेटा सुरक्षा के लिए संशोधन करना।
2. न्यायपालिका की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना।
3. राज्यों की वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता को मजबूत करना।
4. स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को सशक्त बनाना ताकि निर्णय तेजी से और प्रभावी रूप से लिए जा सकें।

9.2 बांग्लादेश

1. द्विसदनीय संसद की स्थापना, जिससे राजनीतिक प्रतिनिधित्व और संतुलन बेहतर हो।
2. राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के कार्यकाल की सीमा तय करना, ताकि सत्ता का केंद्रीकरण कम हो।
3. **Right to Food, Housing, Internet Access** को मौलिक अधिकार बनाना।
4. न्यायपालिका और स्थानीय निकायों के विकेंद्रीकरण को संवैधानिक रूप से मान्यता देना।
5. राष्ट्रीयता, समाजवाद और बहुलतावाद जैसे सिद्धांतों को संविधान में मजबूत करना।

10. निष्कर्ष और सिफारिशें

निष्कर्ष

- भारत का संविधान विस्तृत, संघीय और अनुभव-संपन्न है, जिसने लोकतांत्रिक संस्थाओं और नागरिक अधिकारों को स्थायित्व प्रदान किया है।
- बांग्लादेश का संविधान केंद्रित और संशोधन-गतिशील है, जो राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है।
- भारत ने धर्मनिरपेक्षता और संघीय संतुलन में सफलता प्राप्त की है, जबकि बांग्लादेश में धर्म और राज्य शक्ति के बीच संघर्ष देखा गया है।
- दोनों देशों में नागरिक अधिकारों की सुरक्षा और संवैधानिक सुधारों की आवश्यकता स्पष्ट है।

सिफारिशें

1. स्थानीय शासन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता और दक्षता को मजबूत करना।
2. नागरिकों के डिजिटल अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और पर्यावरण संरक्षण को संवैधानिक रूप देना।
3. संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया को पारदर्शी और लोकतांत्रिक बनाना।
4. लोकतांत्रिक संस्थाओं की जवाबदेही सुनिश्चित करना।
5. बांग्लादेश में धर्मनिरपेक्षता और बहुलतावाद की संवैधानिक स्थिरता सुनिश्चित करना।

संदर्भ सूची

1. चौधरी आर. चीन-बांग्लादेश रक्षा साझेदारी और भारत की रणनीतिक प्राथमिकताएँ. दमक्षर् एमशया रक्षा नीति जनिल. 2023;12(3):55–73.
2. घोष ए. तीस्ता जल विवाद और भारत-बांग्लादेश कूटनीति: संभावनाएँ. जल संसाधन प्रबंधन अध्ययन. 2023;6(2):33–48.
3. हुसैन टी. बांग्लादेश की विदेश नीति में भारत और चीन की भूमिका: एक तुलनात्मक अध्ययन. अंतरराष्ट्रीय राजनीति एवं कूटनीति. 2022;14(1):89–105.
4. शिखु जी डी. भारत-बांग्लादेश ऊर्जा सहयोग और क्षेत्रीय विकास. एमशियाई ऊर्जा नीति विश्लेषण. 2022;9(3):67–82.
5. रहमान ए, साहा पी. भारत-बांग्लादेश संबंधों का सामाजिक-सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य. साउथ एशियन सोशल स्टडीज़ जनिल. 2022;7(4):112–127.
6. सरकार आर. भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार और निवेश प्रवृत्तियाँ: ऐतिहासिक विकास और वर्तमान स्थिति. अर्थशास्त्र एवं नीति अध्ययन. 2023;11(2):58–74.
7. सेन के. बांग्लादेश में भारत की निवेश रणनीति: आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव. भारतीय विदेश नीति जनिल. 2019;5(1):40–55.
8. बैनर्जी ए. दमक्षर् एमशया में कनेक्टिविटी पहल: भारत-बांग्लादेश सहयोग का विश्लेषण. अंतरराष्ट्रीय कूटनीति समीक्षा. 2023;10(3):88–103.
9. बस रूपी. भारत-बांग्लादेश सीमा विवाद और सुरक्षा रणनीतियाँ. सीमा सुरक्षा अध्ययन जनिल. 2022;14(2):45–59.

© 2025 परबत सिंह राजपुरोहित. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

10. चौधरी एस. बांग्लादेश में राजनीतिक परिवर्तन और भारत की विदेश नीति. एमशियाई राजनीतिक अध्ययन. 2023;9(1):67–82.
11. घोष आर. भारत-बांग्लादेश जल संसाधन विवाद: सहयोग और प्रतिस्पर्धा. जल विज्ञान एवं पर्यावरण नीति. 2022;8(4):102–119.
12. खान जे. बांग्लादेश की ऊर्जा नीति में भारत की भूमिका: आर्थिक प्रभाव का मूल्यांकन. दमक्षर् एमशियाई ऊर्जा अध्ययन. 2023;12(3):55–70.
13. जिज़दार ए. भारत-बांग्लादेश के सांस्कृतिक संबंध: ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य. सांस्कृतिक अध्ययन एवं समाजशास्त्र. 2022;11(2):78–95.
14. शिखु जी डी. भारत-बांग्लादेश व्यापार नीतियाँ: द्विपक्षीय व्यापार समझौतों का प्रभाव. अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं वाणिज्य जनिल. 2023;7(1):33–48.
15. पाल टी. चीन और भारत की बांग्लादेश नीति: प्रभाव, अवसर और चुनौतियाँ. एमशियाई भू-राजनीति समीक्षा. 2023;6(2):59–74.
16. राय पी. भारत और बांग्लादेश के बीच रक्षा सहयोग: एक समीक्षा. वैधिक रक्षा नीति जनिल. 2022;9(4):91–108.
17. जोशी आरपी, अग्रवाल अमिता. अंतर्राष्ट्रीय संबंध. जयपुर: शील संस; 2000–2001.
18. बिस्वाल तपन. अंतर्राष्ट्रीय संबंध. हैदराबाद / नई दिल्ली: ओरियंट ब्लैकस्वान प्राइवेट लि; 2022.
19. मिश्र राजेश. भूमंडलीकरण के दौर में भारतीय विदेशनीति. नई दिल्ली: सरस्वती IAS; 2018.
20. फड़िया उपरोक्त. संदर्भ पृष्ठ: 183–185.
21. प्रतियोगिता दर्पण. अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम. डॉ. शीलवन्त सिंह. भारत के पड़ौसी देशों से संबंध. प्रतियोगिता दर्पण. अगस्त 2019; पृ.112.
22. मोहन गीता. प्रधानमंत्री मोदी की बांग्लादेश यात्रा. आजतक [इंटरनेट]. 27 मार्च 2021 [उद्धृत 2025 नव 1]. उपलब्ध: www.aajtak.com.
23. India.com. 50 साल का हुआ बांग्लादेश. 2021 [उद्धृत 2025 नव 1]. उपलब्ध: www.india.com.
24. वाजपेयी अरुणोदय. विश्व परिदृश्य: भारत व बांग्लादेश संबंध – निकटता की नई आहट. प्रतियोगिता दर्पण. दिसंबर 2022; पृ.69–70.

Creative Commons (CC) License

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

© 2025 परबत सिंह राजपुरोहित. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/